

क्रमांक: एफ 61(64) SSAAT/ कलैण्डर / 2020-21 / 6849

जयपुर, दिनांक 07/03/22

जिला कलेक्टर एवं  
जिला कार्यक्रम समन्वयक (महात्मा गांधी नरेगा),  
समस्त।

(आदेश संख्या 10.6/2022)

विषय :- वर्ष 2019-20 की शेष बची समस्त ग्राम पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण कराने  
बाबत।

संदर्भ :- इस कार्यालय का सम संख्यक आदेश क्रमांक 6341-58 दिनांक 11.02.2022  
(आदेश सं. 83/2022), आदेश क्रमांक 6490-11 दिनांक 18.02.2022, (आदेश  
सं. 86/2022)।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेशों के क्रम में पुनः लेख है कि वर्ष 2019-20 में जो ग्राम पंचायतें कार्यरत थी और उनमें से तत्समय जिन-जिन ग्राम पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण सम्पन्न हो गया एवं हाल ही में 3 से 9 मार्च, 2022 के मध्य आयोजित सामाजिक अंकेक्षण के दौरान जिन-जिन ग्राम पंचायतों का विधिवत् सामाजिक अंकेक्षण सम्पन्न हो गया है, इन सभी के बाद जो भी ग्राम पंचायतें सामाजिक अंकेक्षण होने से छूट रही हैं, उन ग्राम पंचायतों के नाम, पंचायत समितिवार दो दिवस में (दिनांक 09.03.2022 तक) आवश्यक रूप से ईमेल आईडी DyDir.Socialaudit@rajasthan.gov.in पर भिजवाये तथा निम्नांकित गूगल लिंक पर भी अपलोड करवाने सुनिश्चित करावे।

इस बाबत स्पष्ट किया जाता है कि यदि वर्ष 2019-20 में एक बार भी किसी ग्राम पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण हो गया है तो फिलहाल इस सूचना में उसे अंकेक्षित मानकर शेष ग्राम पंचायतों की ही सूचना प्रेषित की जावे।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वर्ष 2019-20 नवीन ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के सृजन बाबत अधिसूचनाएँ जारी होने के कारण भारत सरकार के नरेगा सॉफ्ट पोर्टल पर हाल में 11347 ग्राम पंचायतें दिखाई दे रही हैं परन्तु तत्समय वास्तविक रूप से कार्यरत ग्राम पंचायतों की संख्या 9892 ही थी। अतः आप लोग तत्समय वास्तविक रूप से कार्यरत ग्राम पंचायतों की ही सामाजिक अंकेक्षण होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सामाजिक अंकेक्षण से बकाया रही ग्राम पंचायतों की सूचना भिजवाना सुनिश्चित करावे।

विशेष उल्लेखनीय है कि जिन ग्राम पंचायतों का नियमित सामाजिक अंकेक्षण वर्ष 2019-20 में अथवा कालान्तर में किसी भी अवधि में हो चुका है और यदि उसकी सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट्स, अनियमितताओं का विवरण एवं अनुपालना कार्यवाही रिपोर्ट्स (Action Taken Report) भारत सरकार के नरेगा सॉफ्ट पोर्टल (NREGA Soft Portal) पर अपलोड नहीं किये गये हैं तो वे आज भी भारत सरकार के समक्ष बकाया दिखाई पड़ रहे हैं। अतः समस्त जिला परिषदों को निर्देशित किया जाता है कि वे पंचायत समितियों के MIS Managers के माध्यम से आगामी दो दिवस (दिनांक 09.03.2022 तक) में आवश्यक रूप से अपलोड करावे। अन्यथा ऐसी ग्राम पंचायतों का दुबारा कलैण्डर जारी करके सामाजिक अंकेक्षण मजबूरन करवाना पड़ेगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (Concurrent Social Audit) की सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट्स उनकी अनुपालना रिपोर्ट्स आदि पूर्व में भारत सरकार के नरेगा सॉफ्ट पोर्टल

(NREGA Soft Portal) पर उपलब्ध नहीं थी। अतः सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) द्वारा Google Link के माध्यम से सूचनाएँ प्राप्त की गई थी। इन रिपोर्ट्स को भारत सरकार के नरेगा सॉफ्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाना है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (Concurrent Social Audit) हेतु कुछ प्रावधान किये गये हैं जिनके संबंध में आवश्यकतानुसार पृथक से दिशा-निर्देश जारी कर दिये जावेंगे।

आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार वास्तविक स्थिति के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण से बकाया रही ग्राम पंचायतों की नाम पहचान कर उनमें दीवार लेखन (Wall Painting), रिकॉर्ड उपलब्ध कराने एवं सामाजिक अंकेक्षण हेतु अन्य उपयुक्त तैयारियाँ पूर्ण कर लें क्योंकि अतिशीघ्र इनके सामाजिक अंकेक्षण कलैण्डर्स जारी होंगे जो आपको पृथक से सूचना जारी की जावेगी।

अतः आप दिनांक 09.03.2022 तक जिला प्रशासन के लिये जारी की गई निर्धारित Google Sheet पर और उप निर्देशक, SSAAT की E-mail ID Dydir.socialaudit@rajasthan.gov.in पर सूचना भिजवाना सुनिश्चित करावे ताकि सामाजिक अंकेक्षण कलैण्डर जारी करवाकर इसी वित्तीय वर्ष में नियमित सामाजिक अंकेक्षण कराया जा सके।

(के. के. पाठक)

सचिव,

ग्रामीण विकास विभाग,

सह सदस्य सचिव, GB, SSAAT

क्रमांक: एफ.61(64) SSAAT/कलैण्डर/2020-21/

जयपुर दिनांक

प्रतिरिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, मा. राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान।
4. वरिष्ठ उप सचिव, श्रीमान् मुख्य सचिव सह अध्यक्ष, शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
5. महा निदेशक राजस्थान पुलिस, जयपुर।
6. निजी सचिव, श्रीमान शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, सह अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ एवं स्वतंत्र पर्यवेक्षक के रूप में कार्य सम्पादन कराने हेतु।
9. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, मनरेगा डिविजन/PMAY(G) डिविजन ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायतीराज विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, मिड-डे-मिल योजना, शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग सह सदस्य सचिव, शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
13. निजी सचिव, आयुक्त मनरेगा को भेजकर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार उचित कार्यवाही करवाकर रिपोर्ट निदेशक, SSAAT को भिजवाने हेतु जिलों को निर्देशित कराने का श्रम करें।